(b) State Legislatures and State Governments of Assam, Bihar, Arunachal Pradesh and Manipur, Agriculture Associations of Assam and West Bengal and Consumer Protection Organisation of Assam have not sent nomination of the persons to be given representation on these Committees.

(c) and (d) The meeting could not be held due to two Parliament Sessions falling in beteen and the nominations having also not been received from various sources as indicated in part (b) above. However, the meeting is no scheduled to be held in the 3rd week of June, 1995. There is no proposal to revise the tenure of this Committee.

Liquor shops at Dibrugarh Railway Station

7212. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of unauthorised/illegal liquor shops, run by certain railway employees selling liquor round the clock to railway passengers and others, exist in front of Dibrugarh railway station of N.F. Railway,

(b) whether it is also a fact that the said liquor shops have been existing for the last several years, causing complete vitiation of atmosphere in Dibrugarh station premises, round the clock disturbance to family quarters of railway staff situated nearby as well as running room staff/occupants and yet railway administration has failed to remove the said liquor shops; if so, the reasons therefor, and

(c) whether Government propose any remedial steps in this regard; if so, the details therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) No, Sir. No such activity has been brought to the notice of the Railway Administration.

(c) As a precautionary measure a close watch is kept in the area to prevent any such activity.

समस्तीपुर से दरभंगा तक छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

7213. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समस्तीपुर से दरभंगा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बदले जाने की संभावना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़): (क) जी हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 के भीतर।

Proposal for Computerised Rail Reservations in the Country

7214. SHRI SARADA MOHANTY: will the of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to computerise Rail Reservations throughout the country;

(b) if so, the target date fixed for providing the facilities at every station where it is needed; and

(c) the details of progress made in this regard, so far?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIFF): (a) to (c) about 92% of the reservation workload on the Indian Railways has been computerised. This covers all the stations where 300 or more reservations are dealt with per day. The total number of locations where the computerised reservation facilities are available is 240 inclusive of stations and satellite locations. In the annual Plan for 1995-96 the provision of these facilities at 30 more locations has been included.

कालका-शिमला मार्ग पर रेल किराये में कमी किया जाना

7215. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में कालका-शिमला तथा पठानकोट जोगिन्दर नगर मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों के किराए में इस वर्ष से कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीश: कालका-शिमला और पठानकोट-जोगिन्दर नगर का किराया पहले कितना लगता था और अब कितना लगता है; और

(ग) क्या इस छूट से इन मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी-कितनी?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1994-95 में तथा 01.04.95 से कालका से शिमला और पठानकोट से जोगिन्दर नगर तक दर्जा-वार किराए निम्नलिखित हैं:—

कालका से शिमला

	1994-95	01.04.95 से
	(रु॰)	(रु॰)
रेल मोटर कार	199	137
पहला दर्जा	179	114
कुर्सी यान	112	77
दूसरा दर्जा	36	14
पठान कोट से जोगिन्दर नगर:		
पहला दर्जा	219	159
दूसरा दर्जा	032	024

(ग) कालका-शिमला खण्ड पर अप्रैल 1994 के दौरान 3032 यात्रियों की तुलना में अप्रैल 1995 के दौरान 9198 यात्री बुक किए गये थे। यात्री यातायात में 203.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई पठानकोट-जोगिन्दर नगर खण्ड पर अप्रैल 1994 के दौरान 18,751 यात्रियों की तुलना में अप्रैल 1995 के दौरान 24,901 यात्री बुक किए गए यात्री यातायात में 32.8% की वृद्धि हुई।

रेलवे में सुधार हेतु समितियों की सिफारिशें

7216. श्री राम जेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परिवहन प्रणाली की समस्या की पुनरीक्षा करने हेतु यूनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेंट फार डेवलेपमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा नियुक्त कतिपय अन्य समितियों अथवा आयोगों ने भी रेलवे में सुधार हेतु सिफारिशें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशें कब तक और किस-किस रूप में दी गई हैं और

(ङ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है; यदि हां तो कौन-कौन सी सिफारिशें कब-कब क्रियान्वित की गयी हैं?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ): (क) और (ख) विकास समर्थन और प्रबंध सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभाग ने भारत की राष्ट्रीय परिवहन नीति का अध्ययन किया था जिसका निष्पादन दो चरणों के जरिए अर्थात परिवहन आवश्यकता निर्धारण अभियान और भारत की राष्ट्रीय परिवहन नीति के बारे में मुख्य अध्ययन, किया जाना था। यद्यपि पहली रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, दूसरे पहलू के बारे में रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है।

रेलों के संबंध में उनकी परिवहन आवश्यकता निर्धारण अभियान रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों में भारतीय रेलों की कार्यप्रणाली में व्यापारोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना, सरकार द्वारा "सामाजिक दायित्वों" पर हानि की क्षतिपूर्ति, फालतू कर्मचारियों को पुन: तैनात करना और पुन: प्रशिक्षण देना तथा उनकी निपुणता में वृद्धि करना, रेल उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, नोडल स्थल स्थापित करके उच्च दरों वाला यातायात प्राप्त करना, कंटेनरीकृत कार्गो का विस्तार करना, बचत करने वाले मुख्य क्षेत्रों का पता लगाना, प्रबंधन तकनीकों का विस्तार, नई प्रौद्योगिकी अपनाना आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में भारतीय रेलों की संगठनात्मक अवसंरचना और प्रबंधन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और मार्च, 1994 में इस समिति की सिफारिशें दी गई थीं, समिति की सिफारिशों में आधुनिक वित्तीय सूचना प्रणालियां, उपभोक्ता की ओर ध्यान देते हुए व्यापारोन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, निवेश योजना प्रणाली का सुधार करना, मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक पुनर्संरचना संबंधी क्षेत्र शामिल हैं।

श्री डी॰ एफ॰ नांजुंदप्पा की अध्यक्षता में परिचालन की लागत में वृद्धि, ढोए जाने वाले यातायात की मात्रा और स्वरूप, प्रौद्योगिकी में बदलाव, राष्ट्रीय परिवहन नीति तथा देश के समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किराया और मालभाड़ा संरचना की पूरी रूपरेखा और अन्य आनुषांगिक मामलों की जांच करने के लिए रेल किराया और मालभाड़ा समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशें दिसंबर 1993 में प्राप्त हुई थीं।

ये रिपोर्टें वैचारिक स्वरूप की थीं और रिपोर्टों की जांच के बाद मंत्रालय ने विस्तृत कार्यान्वयन के मुद्दे की जांच करने हेतु निम्नलिखित समितियां/कार्य बलों का गठन किया है: